

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.5(3)गृह-1 / 2026 (30242)

जयपुर, दिनांक : ई-साइन

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2012-13, 2013-14, 2023-24 से 2025-26 की रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 08.10.2026 की अभिशंशाओं के अनुसार विभिन्न प्रकरणों में पूर्व में जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

वर्ष 2012-13

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल को प्रदत्त दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डादेश दिनांक 23.07.2008 को मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14908/2016 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2026 के द्वारा अपास्त किये जाने तथा उक्त आदेश के विरुद्ध स्थाई कमेटी द्वारा आगे अपील दायर नहीं किये जाने का निर्णय लिये जाने के कारण श्री दिनेश कुमार अग्रवाल को पदोन्नत किया जाता है।

श्री अग्रवाल की वरिष्ठता श्री प्रदीप कुमार के नीचे एवं श्री संजीव भटनागर के ऊपर निर्धारित की जाती है। सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इस चयन सूची से सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध चयनित अंतिम अधिकारी श्री रामेश्वर लाल मेघवाल का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2013-14

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल को वर्ष 2012-13 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2013-14 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

श्री रामेश्वर लाल मेघवाल का वर्ष 2012-13 से चयन निरस्त किये जाने के कारण वर्ष 2013-14 में चयन किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री अरुण माच्या (एसटी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2023-24

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 16086/2024 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह रावत बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.10.2024 एवं उक्त आदेश के विरुद्ध स्थाई समिति द्वारा In Personam रिट याचिका दायर नहीं किये जाने के निर्णय की पालना में श्री राजेन्द्र सिंह को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री बलवीर सिंह/दलपत सिंह के नीचे एवं श्री श्याम सुन्दर/मेघ सिंह के ऊपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इस चयन सूची से सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अधिकारी श्री नन्दलाल/डालचन्द का चयन निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2024-25

श्री राजेन्द्र सिंह रावत को वर्ष 2023-24 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2024-25 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2025-26

तीसरी संतान संबंधी प्रकरणों में वरिष्ठता में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप श्री मजीद खान, श्री श्रवण कुमार, श्री संग्राम सिंह भाटी एवं श्री रमेश शर्मा/सोहन लाल शर्मा को पदोन्नत किया जाता है। श्री मजीद खान की वरिष्ठता श्री रघुवीर सिंह



के ऊपर, श्री श्रवण कुमार की वरिष्ठता श्री मेघाराम/बल्लूराम के ऊपर, श्री संग्राम सिंह भाटी की वरिष्ठता श्री रामचन्द्र/केशराराम के नीचे तथा श्री रमेश शर्मा की वरिष्ठता श्री रविन्द्र कुमार बोथरा के ऊपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इस चयन सूची से श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री आलोक कुमार वर्मा, श्री अमरजीत चांवला एवं श्री ओमप्रकाश सोलंकी का चयन निरस्त किया जाता है।

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्वधीन है। पदोन्नत अधिकारी को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

उक्त पदोन्नत आरपीएस अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेश जैन)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी/मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

